

न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला-पाली (राजस्थान)  
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS No 2022/444

दायरा तिथि : 30-12-2022

फैसला तिथि : 11-02-2023

प्रार्थी:-

वीणा कुमारी उर्फ सीमा पुत्री हिन्दुसिंह  
जाति पुरोहित निवासी बारवा तहसील बाली  
बनाम

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली  
उपस्थिति:-

1. श्री भरत जे. राठौड ..... अभिभाषक प्रार्थी की ओर से
2. श्री ललित कुमार नायब तहसीलदार, बाली ..... पैरोकार सरकार की ओर से

-:: आदेश ::-

दिनांक 11-02-2023

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा ग्राम बारवा तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 1253, 1131, 1132, 1133, 403, 572, 1120, 1125, 1126, 1127, 1129, 1130, 14, 15, 192, 193, 213 में दर्ज त्रुटिपूर्ण नाम सीमा पुत्री हिन्दुसिंह को दुरस्ती के माध्यम से सही व वास्तविक नाम वीणा कुमारी पुत्री हिन्दुसिंह शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रति पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने जांच कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वर्णित भूमि में त्रुटिपूर्ण नाम सीमा पुत्री हिन्दुसिंह दर्ज होने तथा प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज उच्च माध्यमि परीक्षा 2010 प्रमाण पत्र अंकतालिका सहित, माध्यमिक परीक्षा 2008 अंकतालिका, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, व राशन कार्ड अनुसार प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम वीणा कुमारी पुत्री हिन्दुसिंह दर्ज होना स्वीकार किया, तथा उक्त त्रुटि नामान्तरकरण दर्ज करते समय होना स्वीकार करते हुये राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी के त्रुटिपूर्ण नाम सीमा पुत्री हिन्दुसिंह के स्थान पर वीणा कुमारी पुत्री हिन्दुसिंह शुद्ध किये जाने बाबत सहमति प्रदान की गई।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकूलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम वीणा कुमारी पुत्री हिन्दुसिंह है, जिसकी पुष्टि में प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज उच्च माध्यमि परीक्षा 2010 प्रमाण पत्र अंकतालिका सहित, माध्यमिक परीक्षा 2008 अंकतालिका, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, व राशन कार्ड की नकल पेश कर दी है। नामान्तरकरण दर्ज करते समय त्रुटिपूर्ण नाम सीमा पुत्री हिन्दुसिंह दर्ज है, जिससे उसके आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज नाम को भी दुरस्त किये जाने की मांग की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है। ग्राम बारवा तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 1253, 1131, 1132, 1133, 403, 572, 1120, 1125, 1126, 1127, 1129, 1130, 14, 15, 192, 193, 213 में दर्ज त्रुटिपूर्ण नाम सीमा पुत्री हिन्दुसिंह को दुरस्ती के माध्यम से सही व वास्तविक नाम वीणा कुमारी पुत्री हिन्दुसिंह शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकॉर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बारवा को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



आदेश आज दिनांक 11-02-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.)  
बाली अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.), बाली  
(एस.डी.ओ.), बाली  
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.), बाली  
बाली, जिला-पाली (राज.)